

**FORM NO. III**

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला

मुकाम खाजूवाला

हरदीपकौर वगै०

बनाम

सोनीराम वगै०

किस्म मुकदमा :-प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट

मु.नं. एवं सन 125 / 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
02-02- 2023	<p>पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी सं० 1, 2, 4 बावजूद तामिल हाजिर नहीं। आज सरे इजलास बार बार रुक रुककर आवाजे लगाई गई जिसपर अप्रार्थी सं० 1,2,4 वकालतन या असालतन हाजिर नहीं। अतः अप्रार्थी सं० 1,2,4 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। जिसमें न्यायालय को पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादगत भूमि के संबंध में मूलवादपत्र में अंतिम निस्तारण तक स्थगन जारी करना न्यायोचित है ताकि मुकदमेबाजी को बढ़ावा ना मिले व पक्षकारों को कानूनी पेचिदगियों का सामना ना करना पड़े इसलिए धारा 212 आरटीएक्ट के प्रावधानों एवं धारा 151 की में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे मूलवाद के निस्तारण तक इस पत्रावली में चक 22 बीडी के मु०नं० 74/48 के किला नं० 2,3,7,8,12, 14 ता 17, 25 की 2. 0107 है० (7.19 बीघा) कृषि भूमि पर दिनांक 24.12.2020 को पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा (स्थगन) आदेश को मूलवाद के फैसले तक स्थाई किया जाता है। अतः उभयपक्ष मूल वाद के निस्तारण तक मौका रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखें। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।</p>	